रजि० सं० 221 REGISTERED No. D. [illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 14, 1971/चैत्र 24, 1892
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIAL 14, 1971/CHAITRA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th *April* 1971

S.O. 1575.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President of India had on 16th October, 1969, made an Order, suspending for a period of one year the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Manipur, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Manipur in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on 13th October, 1970, made a further Order continuing the suspension of operation of the provisions of the Act suspended under the aforesaid Order for a further period of six months with effect from the 16th day of October, 1970;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Manipur and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the first-mentioned Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of one year and six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the and all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the first-mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of six months with effect from the 16th day of April, 1971; and

(b) that for the words "one year and six months" occurring in clause (a) of the first-mentioned Order as subsequently amended, the words "two years" shall be substituted.

NEW DELHI-4,
The 14th April, 1971.

V. V. GIRI,
PRESIDENT.

[No. F. 10/9/71-SR.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1575.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

आदेश

यत: मैंने, व० वे० गिरी, भारत के राष्ट्रपति ने 16 अक्तूबर 1969 को संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 (1963 का 20) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है, के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित करते हुए और कतिपय आनुसंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाते हुये जो मुझे पूर्वोक्त अवधि में मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार चलाने के लिये आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था ;

और यत: मैंने, अक्तूबर, 1970 के 16वें दिन से 6 महीने की और अवधि के लिये पूर्वोक्त आदेश के अधीन निलम्बित अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का निलम्बन जारी रखते हुए 13 अक्तूबर, 1970 को एक और आदेश किया था ;

और यत: मुझे मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि उस संघ राज्य-क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि उस संघ राज्य-क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि प्रथम उल्लिखित आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलम्बित अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलम्बित रहना चाहिये और उस आदेश में बनाये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध एक वर्ष और छह मास की अवधि के बाद भी प्रवर्तित रहने चाहिये ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं —

(क) कि अप्रैल, 1971 के 16वें दिन से छह मास की और अवधि के लिये प्रथम उल्लिखित आदेश के खंड (क) के आधार पर अधिनियम के निलम्बित उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के खंड (ख) के आधार पर बनाये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध प्रवर्तित रहेंगे; और

(ख) यह कि तत्पश्चात् यथासंशोधित प्रथम-उल्लिखित आदेश के खंड (क) में "एक वर्ष और छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति।

नई दिल्ली-4,

अप्रैल 14, 1971

[सं० एफ० 10/9/71-एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971